न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, टोंक

पीठासीन अधिकारी–

परशुराम धानका
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
38/2016/प्रा.पत्र/2016	12.04.2016	23.08.2022

मदनलाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक
.......प्रार्थी

बनाम

1–श्री अनिल कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री शिवराज माहेश्वरी एफ.बी.ओ. मैसर्स गोकुल ज्यूस सेन्टर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी कस्तुरबा कॉलोनी, बृजलाल नगर मालपुरा जिला टोंक राज.
2–मैसर्स गोकुल ज्यूस सेन्टर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज.
3–श्री गंगाराम फूलवानी प्रोपरायटर मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज. निवासी वार्ड नं. 23, लक्ष्मण पेन्टर वाली गली मालपुरा जिला टोंक
4–मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज.
5–श्री शिवदत्त पांडे नॉमिनी/मैनेजर मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड बालमुकुन्दपुरा, एनएच–8, अजमेर रोड जयपुर
6–मैसर्स वरूण बेवरेजेज लिमिटेड बालमुकुन्दपुरा, एनएच–8, अजमेर रोड जयपुर
7–श्री मनीष भटनागर नॉमिनी/मैनेजर मैसर्स वरूण लिमिटेड प्लॉट नं. 2, सूरजपुरा बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यू.पी.।
8–मैसर्स वरूण लिमिटेड प्लॉट नं. 2, सूरजपुरा बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यू.पी.।

.... अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एफ.एस.एस.एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थित–

1–पेरोकार सरकार उप.।
2–अप्रार्थीगण एवं उनके अभिभाषक अनुपस्थित ।

दिनांक 23.08.2022

:–<u>निर्णय</u>–:

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 24.05.2015 को समय 11:42 पीएम पर मैसर्स गोकुल ज्यूस सेन्टर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज. पर पहुंचा। वहां पर श्री अनिल कुमार माहेश्वरी पुत्र श्री शिवराज माहेश्वरी मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री अनिल कुमार माहेश्वरी ने स्वयं को मैसर्स गोकुल ज्यूस सेन्टर जयपुर रोड मालपुरा जिला टोंक राज. का एफ.बी.ओ. होना बताया एवं खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र मांगे जाने पर खाद्य अनुज्ञा प्रपत्र दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि आम जनता को विक्रय करने हेतु दुकान में अन्य खाद्य पदार्थों के साथ–साथ **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** जिसके बैच नं. 5249520 ईएफ व पैकिंग दिनांक अक्टूबर 2015 थी, 1.2 लीटर की 10 बोतल रखी हुई थी,

1950

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

जिसे देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने का अन्देशा हुआ तो श्री अनिल माहेश्वरी को फार्म नं. 5 ए दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में एफ.बी.ओ श्री अनिल माहेश्वरी व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर किये तथा एक प्रति एफ.बी.ओ. को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **फूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** वास्ते मानक स्तर की जॉच करवाने हेतु क्रय किया जा रहा है, 1.2 लीटर की 4 नग कुल 4.8 लीटर खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 1.2 लीटर की 4 नग कुल 4.8 लीटर **फूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** को 1.2 लीटर की अलग–अलग चार भागों के चार नमूना भाग तैयार कर एवं चारों भाग हेतु चार लेबल नियमानुसार तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गये खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी. ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1000 एवं पूर्ण विवरण अकित किया। प्रत्येक लेबल पर आवेदक ने स्वयं ने हस्ताक्षर मय मोहर किये एवं विक्रेता तथा गवाहन के नियमानुसार हस्ताक्षर कराये तथा प्रत्येक नमूना भाग पर लेबलों को गोंद से चिपकाया व चारों नमूना भागों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1000 नियमानुसार चारों नमूना भाग पर नीचे से ऊपर तक गोद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये। चारों नमूना भाग नियमानुसार मोके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

मौके पर नमूना क्रय करते समय श्री अनिल माहेश्वरी ने बतौर वारन्टी मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज. का वारंटी बिल पेश कर उपरोक्त पेय पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. की छः प्रति तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

वारन्टी होने के कारण आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मैसर्स योगेश कोल्ड ड्रिंक्स व्यास सर्किल मालपुरा जिला टोंक राज. को फार्म नं. 5ए की सूचना एवं आवश्यक दस्तावेज मंगवाने बाबत् पत्र प्रेषित किया जिस पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने अपनी फर्म के दस्तावेज व मैसर्स वरूण बैवरेजेज लिमिटेड बालमुकुन्दपुरा, एनएच–8, अजमेर रोड जयपुर का वारंटी बिल पेश कर उपरोक्त पेय पदार्थ क्रय करना बताया।

आवेदक ने मैसर्स वरूण बैवरेजेज लिमिटेड बालमुकुन्दपुरा, एनएच–8, अजमेर रोड जयपुर को पत्र प्रेषित कर आवश्यक दस्तावेज चाहे गये तो उक्त फर्म के व्यवहारी ने प्रतिउत्तर में मैसर्स वरूण लिमिटेड प्लॉट नं. 2, सूरजपुरा बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यू.पी. का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त पेय पदार्थ क्रय करना बताया जिसे आवेदक द्वारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

पत्र प्रेषित करने पर उक्त फर्म के व्यवहारी ने प्रतिउत्तर में मैसर्स वरूण लिमिटेड प्लॉट नं. 2, सूरजपुरा बाईपास, ग्रेटर नोएडा, गौतम बुद्ध नगर यू.पी. का नॉमिनीनेशन फार्म प्रस्तुत किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./16/3531 दिनांक 02.10.2015 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोर्ट सं. एल.एस./1317/एक्ट/2015/797 दिनांक 24.08.2015 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** एफ.एस.एस.ए. की धारा 2(ii) का उल्लंघन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता/फर्मों के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से श्री रामपाल शर्मा एडवोकेट ने वकालतनामा पेश किया एवं जवाब पेश किया तथा बहस हेतु समय चाहा। परन्तु कई अवसर देने के बावजूद भी अभिभाषक अप्रार्थीगण द्वारा बहस नहीं की गई और ना ही अप्रार्थीगण स्वयं उपस्थित हुए। अतः पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है,इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **फ्रूट ड्रिन्क मैंगो स्लाइस ट्रोपीकाना मूल पैक (Fruit Drink Mango Slice Tropicana original Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं. 1 व 2 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/– (अक्षरे तीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 40,000/–(अक्षरे चालीस हजार रूपये), अप्रार्थी सं. 5 व 6 पर कुल शास्ति रूपये 2,00,000/–(अक्षरे दो लाख रूपये), अप्रार्थी सं. 7 व 8 पर कुल शास्ति रूपये 3,00,000/–(अक्षरे तीन लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये डीडी न्यायालय में अथवा जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक 23.08.2022 से एक माह के अन्दर अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज 23.08.2022 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(परशुराम धानका)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0